# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झाडोल जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– श्री कपिल कुमार कोठारी, आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः–84 / 2021

तारीख दायरः–24.09.2021
तारीख निर्णयः–01.05.2025

1. श्री कालु पिता देवाजी भील निवासी हुण्डला पटवार क्षेत्र डैया तहसील फलासिया।

.........प्रार्थी

## बनाम

1. श्री नाना पिता गुन्जा पारगी निवासी हुण्डला तहसील फलासिया।
2. श्री ककुआ पिता गुन्जा पारगी निवासी हुण्डला तहसील फलासिया।
3. श्री लक्ष्मण पिता ककुआ पारगी निवासी हुण्डला तहसील फलासिया।
4. श्री मणीलाल पिता ककुआ पारगी निवासी हुण्डला तहसील फलासिया।

...............अप्रार्थी

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लेण्ड रे. एक्ट.

उपस्थित– प्रार्थीगण की ओर से– श्री राजेश कलासुआ

अप्रार्थी की ओर से– एक तरफा

## निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मौजा हुण्डला पटवार क्षेत्र डैया तहसील फलासिया में आराजी नम्बर 38 रकबा 0.1900, 39 रकबा 0.2100 किता 02 कुल रकबा 0.4000 है0 भूमि स्थित है, जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी की उक्त आराजी के पास विपक्षी की खातेदारी की आराजी भूमि स्थित है। विपक्षी आये दिन प्रार्थी को परेशान करते रहते है तथा भूमि में जबरन प्रवेश कर दखलंदाजी करते है व घास लकडी इत्यादि को ले जाते है। प्रार्थी व विपक्षी की भूमि आस पास होने से आये दिन पाली डोली को लेकर सीमांकन बाबत् विवाद होता रहता है। विपक्षी आये दिन दिन प्रार्थीगण के साथ लडाई झगडा करते रहते है। भविष्य में सीमा को लेकर किसी प्रकार का कोई विवाद नही हो इसलिये प्रार्थी की भूमि की पत्थरगढी करवाना नितान्त आवश्यक हो गया है। अतः निवेदन किया गया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की मौजा हुण्डला पटवार क्षेत्र डैया तहसील फलासिया की आराजी नम्बर 38 रकबा 0.1900, 39 रकबा 0.2100 किता 02 कुल रकबा 0.4000 है0 भूमि का सीमांकन करवाया जाकर मौके पर पत्थरगढी करवाये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किये गये। अप्रार्थीगण बावजुद सूचना एवं सम्मन तामील के अनुपस्थित रहने से एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। तत्पश्चात प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में वही कथन कहे है, जो अपने प्रार्थना पत्र अंकित किये गये है।

हमने विद्वान प्रार्थी की एक तरफा बहस पर मनन, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। वादग्रस्त भूमि के प्रार्थी खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि के पास विपक्षी की भूमि स्थित होने से आये दिन सीमा का विवाद होता रहता है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाना

उपखण्ड अधिकारी
झाडोल, जिला-उदयपुर

Scanned with OKEN Scanner

ते है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है। अप्रार्थीगण बावजुद सूचना सम्मन तामील के अनुपस्थित रहे है, जिससे यह प्रतीत होता है कि अप्रार्थीगण को भी पत्थरगढ़ी जाने में कोई आपत्ती नही है। उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार या जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पर साबित पाये जाने से स्वीकार या जाता है एवं मौजा झुण्डला पटवार क्षेत्र डैया तहसील फलासिया की आराजी नम्बर 38 रकबा 900, 39 रकबा 0.2100 किता 02 कुल रकबा 0.4000 है0 भूमि की मौके पर कब्जे सम्बन्धी विवाद होने की स्थिति में दोनो पक्षकारानों की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार ासिया को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 2000/– रूपये प्रार्थी पक्ष अदा गा। पालना हेतु तहसीलदार फलासिया को तहरीर जारी की जावें। पत्रावली निर्णित होकर संख्या कम हो।

निर्णय आज दिनांक 01.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया या।

(कपिल कुमार कोठारी)
उपखण्ड अधिकारी
झाड़ोल, जिला उदयपुर